रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 4, 1940
No. 507] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/ SHRAVANA 4, 1940

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 13/2018-केन्द्रीय कर (दर)**

**सा.का. नि. 677(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा –

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो<br>**स्पष्टीकरण 1.** इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो।<br>**स्पष्टीकरण 2.** इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं।<br>**स्पष्टीकरण 3.** "घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा। | 2.5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |
| (ia) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति। | 2.5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(**क**) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(**ख**) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया :—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो । | 9 | -"; |

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन<br><br>स्पष्टीकरण-<br>(1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन;<br>(2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है;<br>(3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-<br><br>क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;<br>ख) प्रधान के रूप मैं कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो । | 6 | - |
| (vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों । | 9 | -"; |

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | शीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं) | (क) केवल ई-बुक की आपूर्ति<br>स्पष्टीकरण -<br>इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर | 2.5 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है। | | |
| | | (ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं। | 9 | -". |

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि. 64 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue )

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 13/2018-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 677(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 7, in column (3),-

(a) for item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)] |

| | | |
|---|---|---|
| ***Explanation 1.*** This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such supply is not event based or occasional.<br>***Explanation 2.*** This item excludes the supplies covered under item 7 (v).<br>***Explanation 3.*** "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit. | | |
| (ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]"; |

(b) in items (ii), (vi) and (viii),-

A. for the words "declared tariff" wherever they occur, the words "value of supply" shall be substituted;

B. the Explanation shall be omitted;

(c) for item (v), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature. | 9 | -"; |

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Multimodal transportation of goods.<br><br>***Explanation.***-<br>(a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;<br>(b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail, | 6 | - |

| | | |
|---|---|---|
| inland waterways or sea;<br>(c) "multimodal transporter" means a person who,-<br>(A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and<br>(B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract. | | |
| (vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. | 9 | -"; |

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | **Heading 9984**<br>(Telecommunications, broadcasting and information supply services) | (i) Supply consisting only of e-book.<br>*Explanation.*- For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device. | 2.5 | - |
| | | (ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above. | 9 | -". |

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018-Central Tax (Rate), dated the 25thJanuary, 2018 *vide* number G.S.R. 64(E), dated the 25th January, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 14/2018-केन्द्रीय कर (दर)**

**सा.का. नि. 678(अ).**—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद् की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 691(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9घ | अध्याय 99 | प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रुपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं "; |

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10क | शीर्षक 9954 | कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24क | शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985 | लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(झ) संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "31क | शीर्षम 9971 या शीर्षक 9991 | कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 31ख | शीर्षक 9971 or शीर्षक 9991 | प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34A | शीर्षक 9971 | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा:—

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "47क | शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 | खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ङ) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "55क | शीर्षक 9986 | पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "65ख | शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक | ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।<br><br>**स्पष्टीकरण.-**<br>"खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो। | शून्य | बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।" |

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "77A | शीर्षक 9995 | निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | द्वारा प्रदत्त सेवाएं,-<br>(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या<br>(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन,<br>प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु.) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु । | | |

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं. 12/2017 – केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 65(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 14/2018-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 678(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -
(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9D | Chapter 99 | Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty-five thousand rupees per month per member, provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. | Nil | Nil"; |

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10A | Heading 9954 | Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use. | Nil | Nil"; |

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24A | Heading 9967 or Heading 9985 | Services by way of warehousing of minor forest produce. | Nil | Nil"; |

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "31A | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by Coal Mines Provident Fund Organisation to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948). | Nil | Nil |
| 31B | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee. | Nil | Nil"; |

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34A | Heading 9971 | Services supplied by Central Government, State Government, Union Territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions. | Nil | Nil"; |

(k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after figures "36", the word and figures "or 40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "47A | Heading 9983 or Heading 9991 | Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators. | Nil | Nil"; |

(m) after serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "55A | Heading 9986 | Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses). | Nil | Nil"; |

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "65B | Heading 9991 or any other Heading | Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.<br><br>***Explanation.-*** "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. | Nil | Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.”; |

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “77A | Heading 9995 | Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,-<br>(i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or<br>(ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment,<br>to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year. | Nil | Nil”; |

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
“(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 2/2018 - Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 65(E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

### सं. 15/2018-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का. नि. 679(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "11 | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं। | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स | ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो।"; |

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 66 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 15/2018-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 679 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "11 | Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs). | Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm. | A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable Territory."; |

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

'(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 66(E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

## सं. 16/2018-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का. नि. 680(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:-** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 16/2018-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 680 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 693(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

(i) after the words "State Government", the words "or Union Territory" shall be inserted;

(ii) after the word "Constitution", the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification 14/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 693 (E), dated the 28th June, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 17/2018-केन्द्रीय कर (दर)**

**सा.का. नि. 681(अ).—**केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 690 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

**"स्पष्टीकरण** – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 64 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 17/2018-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 681 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, hereby inserts following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

***"Explanation.* -** For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 11/2017 – Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018- Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 64(E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 14/2018-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का. नि. 682(अ).—**केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), धारा 6 की उप-धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड ।।, भाग 3, उप-भाग (।) में सा.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा –

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो<br>**स्पष्टीकरण 1.** इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो ।<br>**स्पष्टीकरण 2.** इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं ।<br>**स्पष्टीकरण 3.** "घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा । | 5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |
| (ia) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति । | 5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया :-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो । | 18 | -"; |

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन<br><br>स्पष्टीकरण-<br>(1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन;<br>(2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है;<br>(3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-<br><br>(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;<br>(ख) प्रधान के रूप मैं कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो । | 12 | - |
| (vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों । | 18 | -"; |

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | शीर्ष 9984<br>(दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं) | (क) केवल ई-बुक की आपूर्ति<br>स्पष्टीकरण -<br><br>इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या | 5 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है। | | |
| | | (ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं। | 18 | -". |

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 14/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 682 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(b) against serial number 7, in column (3),-

(a) for item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.<br><br>***Explanation 1.*** This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such supply is not event based or occasional. | 5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)] |

| | | |
|---|---|---|
| ***Explanation 2.*** This entry excludes the supplies covered under the item 7 (v).<br>***Explanation 3.*** "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit. | | |
| (ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms. | 5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]"; |

(b) in items (ii), (vi) and (viii),-

C. for the words "declared tariff" wherever they occur, the words "value of supply" shall be substituted;

D. the Explanation shall be omitted;

(c) for item (v) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature. | 18 | -"; |

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Multimodal transportation of goods.<br><br>***Explanation.-***<br>(a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;<br>(b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;<br>(c) "multimodal transporter" means a person who,-<br>(C) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and<br>(D) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract. | 12 | - |
| (vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. | 18 | -"; |

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | **Heading 9984**<br>(Telecommunications, broadcasting and information supply services) | (i) Supply consisting only of e-book<br>*Explanation.-*<br>For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device. | 5 | - |
| | | (ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above. | 18 | -". |

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 69 (E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

## सं. 15/2018-एकीकृत कर (दर)

**सा.का. नि. 683(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 10घ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10ङ | अध्याय 99 | प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रुपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 10 च | अध्याय 99 | भारत के किसी व्यक्ति के किसी प्रतिष्ठान के द्वारा उसी व्यक्ति के भारत के बाहर के किसी प्रतिष्ठान जिसे आईजीएसटी अधिनियम, 2017 | कुछ नहीं | बशर्ते कि आईजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 13 के अनुसार, इस सेवा के प्रदान किए जाने का स्थान भारत के बाहर हो |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | की धारा 8 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अलग व्यक्ति का प्रतिष्ठान माना जाता हो, को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। | | |
| 10छ | अध्याय 99 | संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शासकीय कामकाज के लिए संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सेवाओं का आयात<br>**स्पष्टीकरण--**इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 10ज | अध्याय 99 | भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी द्वारा सेवाओं का आयात | कुछ नहीं | भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरिय कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा आयातित सेवाओं पर लगाए जाने वाले एकीकृत कर से निम्नलिखित के अध्यधीन छूट के हकदार होंगे,-<br>(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित एकीकृत कर से छूट के लिए हकदार होंगे;<br>(ii) कि इन सेवाओं का आयात उक्त विदेशी राजनयिक या कौंसलर पोस्ट के शासकीय प्रयोजन के लिए किया जाता हो; या उक्त राजनयिक एजेंट या कैरियर काउंसलर आफिसर या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता हो;<br>(iii) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो विदेशी राजनयिक या मिशन कौंसलीय पद को ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा।<br>(iv) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए एकीकृत कर से दी गयी संपूर्ण छूट ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा।"; |

(घ) क्रम संख्या 11 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "11क | शीर्षक 9954 | कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ङ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 20क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 20ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 25 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "25क | शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985 | लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(झ) क्रम संख्या 32 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "32क | शीर्षम | कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9971<br>या<br>शीर्षक<br>9991 | अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं। | | |
| 32ख | शीर्षक<br>9971<br>or<br>शीर्षक<br>9991 | प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं**";** |

(ञ) क्रम संख्या 35 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "35A | शीर्षक<br>9971 | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ट) क्रम संख्या 37क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "37" के पश्चात् "या 41" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा:—

(ठ) क्रम संख्या 49 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "49क | शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 | खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं**";** |

(ड) क्रम संख्या 58 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "58क | शीर्षक 9986 | पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं**";** |

(ढ) क्रम संख्या 68क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "68 ख | शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक | ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।<br><br>**स्पष्टीकरण.-**<br>**"**खनन पट्टा धारको**"** से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम**,** 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा**,** खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो। | शून्य | बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर**,** ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है**,** तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।**"** |

(ण) क्रम संख्या 80 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "80A | शीर्षक 9995 | निम्नलिखित में लगे हुए**,** इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं**,-**<br>(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या<br>(ii) व्यापार**,** वाणिज्य**,** उद्योग**,** कृषि**,** कला**,** विज्ञान**,** साहित्य**,** संस्कृति**,** खेल**,** शिक्षा**,** सामाजिक कल्याण**,** धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन**,** | कुछ नहीं | कुछ नहीं**";** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु.) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु । | | |

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं. 9/2017 – एकीकृत कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 70(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 15/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 683 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 10D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10E | Chapter 99 | Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty-five thousand rupees per month per member | Nil | Nil |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. | | |
| 10F | Chapter 99 | Services supplied by an establishment of a person in India to any establishment of that person outside India, which are treated as establishments of distinct persons in accordance with Explanation 1 in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017. | Nil | Provided the place of supply of the service is outside India in accordance with section 13 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017. |
| 10G | Chapter 99 | Import of services by United Nations or a specified international organisation for official use of the United Nations or the specified international organisation.<br>***Explanation. -*** For the purposes of this entry, unless the context otherwise requires, "specified international organisation" means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply. | Nil | Nil |
| 10H | Chapter 99 | Import of services by Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein. | Nil | Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to exemption from integrated tax leviable on the import of services subject to the conditions, -<br>(i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to exemption from integrated tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;<br>(ii) that the services imported are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his or her family.<br>(iii) that in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | consular post;<br>(iv) that the exemption from the whole of the integrated tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.”; |

(d) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “11A | Heading 9954 | Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use. | Nil | Nil”; |

(e) against serial number 15, in the entry in column (3), for the words “declared tariff”, the words “value of supply” shall be substituted;

(f) against serial number 20A, in the entry in column (5), for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted;

(g) against serial number 20B, in the entry in column (5), for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted;

(h) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “25A | Heading 9967 or Heading 9985 | Services by way of warehousing of minor forest produce. | Nil | Nil”; |

(i) after serial number 32 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “32A | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by Coal Mines Provident Fund Organisation to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948). | Nil | Nil |
| 32B | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee. | Nil | Nil”; |

(j) after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| “35A | Heading 9971 | Services supplied by Central Government, State Government, Union Territory to their undertakings or Public Sector Undertakings (PSUs) by way of guaranteeing the loans taken | Nil | Nil”; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | by such undertakings or PSUs from the financial institutions. | | |

(k) against serial number 37A, in the entry in column (3), after the figures "37", the word and figures "or 41" shall be inserted;

(l) after serial number 49 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "49A | Heading 9983 or Heading 9991 | Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators. | Nil | Nil"; |

(m) after serial number 58 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "58A | Heading 9986 | Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses). | Nil | Nil"; |

(n) after serial number 68A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "68B | Heading 9991 or any other Heading | Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.<br><br>***Explanation.-*** "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. | Nil | Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty."; |

(o) after serial number 80 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "80A | Heading 9995 | Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,-<br>(i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmer; or<br>(ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment,<br>to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year. | Nil | Nil"; |

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No.2/2018 – Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018*vide* number G.S.R. 70(E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

## सं. 16/2018-एकीकृत कर (दर)

**सा.का. नि. 684(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "13 | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं। | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स | ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो।"; |

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 71 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 16/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 684 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "13 | Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs) | Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm. | A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable Territory."; |

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

'(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 10/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 71 (E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

## सं. 17/2018-एकीकृत कर (दर)

**सा.का. नि. 685(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के खंड (i) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 686 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 686 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 17/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 685 (E).—** In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 686(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

(i) after the words "State Government", the words "or Union Territory" shall be inserted;

(ii) after the word "Constitution", the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 11/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 686 (E), dated the 28th June, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 18/2018-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का. नि. 686(अ).—**एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 683 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

**"स्पष्टीकरण** – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 69 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 18/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 686 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28thJune, 2017, hereby inserts following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

> ***"Explanation.* -** For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax(Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 13/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

**सा.का. नि. 687(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (1), तथा धारा 21 के खंड (iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड ।।, भाग 3, उप भाग (।) में सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा –

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो<br>स्पष्टीकरण 1.- इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो।<br>स्पष्टीकरण 2.- इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं।<br>स्पष्टीकरण 3.- "घोषित टैरिफ" में ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा। | 2.5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |
| (ik) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति। | 2.5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें) |

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया :-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो। | 9 | -"; |

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन<br><br>स्पष्टीकरण-<br>(1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन;<br>(2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है;<br>(3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-<br><br>(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;<br>(ख) प्रधान के रूप मैं कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो। | 6 | - |
| (vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों। | 9 | -"; |

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | शीर्ष 9984<br>(दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं) | (क) केवल ई-बुक की आपूर्ति<br>स्पष्टीकरण -<br>इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय | 2.5 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है। | | |
| | | (ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हें । | 9 | -". |

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि. 75 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 13/2018-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 687 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (v) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(c) against serial number 7, in column (3)-

(a) for item (i), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)] |

| | | |
|---|---|---|
| *Explanation 1.*- This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such supply is not event based or occasional.<br>*Explanation 2.*- This entry excludes the supplies covered under item 7 (v).<br>*Explanation 3.*- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit. | | |
| (ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]"; |

(b) in items (ii), (vi) and (viii),-

(A) for the words "declared tariff" wherever they occur, the words "value of supply" shall be substituted;

(B) the Explanation shall be omitted;

(C) for item (v) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature. | 9 | -"; |

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Multimodal transportation of goods.<br><br>*Explanation.*-<br>(a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;<br>(b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;<br>(c) "multimodal transporter" means a person who,-<br>(E) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and<br>(F) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract. | 6 | - |
| (vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. | 9 | -"; |

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | **Heading 9984**<br>(Telecommunications, broadcasting and information supply services) | (i) Supply consisting only of e-book.<br><br>*Explanation.*-<br>For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device. | 2.5 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above. | 9 | -". |

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 75 (E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

### सं. 14/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

**सा.का. नि. 688(अ).—** संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।। के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9घ | अध्याय 99 | प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रुपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं "; |

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10क | शीर्षक 9954 | कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24क | शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985 | लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "31क | शीर्षम 9971 या शीर्षक 9991 | कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 31ख | शीर्षक 9971 or शीर्षक 9991 | प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34A | शीर्षक 9971 | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा:—

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "47क | शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 | खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "55क | शीर्षक 9986 | पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "65ख | शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक | ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।<br><br>**स्पष्टीकरण.-**<br>"खनन पट्टा धारको" से | शून्य | बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो । | | के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा" |

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "77A | शीर्षक 9995 | निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,-<br>(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या<br>(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन,<br>प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु.) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु । | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं. 12/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 76(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 14/2018-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 688 (E).—** ).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -
(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "9D | Chapter 99 | Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration | Nil | Nil"; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | upto twenty-five thousand rupees per month per member provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. | | |

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "10A | Heading 9954 | Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use. | Nil | Nil"; |

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "24A | Heading 9967 or Heading 9985 | Services by way of warehousing of minor forest produce. | Nil | Nil"; |

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "31A | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by Coal Mines Provident Fund Organisation to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948). | Nil | Nil |
| 31B | Heading 9971 or Heading 9991 | Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee. | Nil | Nil"; |

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "34A | Heading 9971 | Services supplied by Central Government, State Government, Union Territory to their undertakings or Public Sector Undertakings (PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions. | Nil | Nil"; |

(k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after the figures "36" the word and figures "or 40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "47A | Heading 9983 or Heading 9991 | Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators. | Nil | Nil"; |

(m) after serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "55A | Heading 9986 | Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses). | Nil | Nil"; |

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "65B | Heading 9991 or any other Heading | Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.<br><br>***Explanation.-*** "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. | Nil | Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty."; |

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "77A | Heading 9995 | Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,-<br>(i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or<br>(ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment,<br>to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year. | Nil | Nil"; |

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
"(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.2/2018 - Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 76 (E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 15/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

**सा.का. नि. 689(अ).**— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0नि0 704(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "11 | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं। | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स | ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो।"; |

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 77 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 15/2018-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 689 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "11 | Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs) | Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm. | A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable Territory."; |

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

'(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 704 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 77 (E), dated the 25th January, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

### सं. 16/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

**सा.का. नि. 690(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (i) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 705 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 705 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 16/2018-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 690 (E).—**In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 705(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

(i) after the words "State Government" the words "or Union Territory" shall be inserted;

(ii) after the words "Constitution" the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 14/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 705 (E), dated the 28th June, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

**सं. 17/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

**सा.का. नि. 691(अ).**—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

**"स्पष्टीकरण –** इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 75 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2018

**No. 17/2018-Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 691 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28thJune, 2017, hereby inserts following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

> ***"Explanation.*** **-** For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 11/2017 - Union Territory Tax(Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 25thJanuary, 2018 *vide* number G.S.R. 75 (E), dated the 25thJanuary, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.27 19:38:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.